

प्राप्ति रसीद

प्रमाणित किया जाता है कि मेरा पुत्र मिनहाज पिता अब्दुल-रहीम  
अब्दुल-रहीम ग्राम- तारवा  
 पो- तारवा थाना- जोरी-हाट जिला- अररिया  
 मेसर्स अहमद पिता सय्याद (ताला + चान-इकान-अररिया कोहलिया)  
 पता- पो + चाना + चिल्ला - अररिया  
 के प्रतिष्ठान से विमुक्त कराया गया।

मैं सरकार द्वारा राशन एवं वस्त्र में मद में कुल 3000 रूपये (तीन हजार रूपये) मात्र श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, अररिया से नगद प्राप्त किया।



R.T. Singh  
 कोजा/अब्दुल-रहीम  
 प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर/निशान  
 Mother of Minhaj

तिथि-

मोहाउ-तीनहाट  
 अहमद-मिनहाज-की-  
 मा कोजा को मोहाउ  
 मोहाउ  
 17-04-18  
 सय्याद  
 अररिया (अररिया)